**भारत सरकार**
**खान मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 3603**
**17 मार्च, 2021 को उत्तर देने के लिए**

**खानों की नीलामी**

**3603. श्री महेश साहू:**

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार हाल ही में ओडिशा में खानों की नीलामी से 75,000 करोड़ रूपये के बड़े राजस्व को लक्षित कर रही है;
(ख) यदि हां, तो नीलामी का ब्यौरा क्या है और उससे कितना अनुमानित राजस्व प्राप्त होने की संभावना है;
(ग) क्या सरकार ने नीलामी प्रक्रिया में अपने लक्ष्य हासिल कर लिए हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री**
**(श्री प्रल्हाद जोशी)**

(क) से (घ) : खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 एवं उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, राज्य सरकारों को निर्धारित कानून के अनुसार खनिज ब्लॉकों की नीलामी करने के लिए अधिकृत किया गया है। राज्य सरकारों को ई नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त होने वाले अपेक्षित राजस्व, नीलामी के समय अंतिम बोलियों पर निर्भर है। ओडिशा राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, नीलामी के अगले चरण के लिए 15 खनिज ब्लॉकों की पहचान की गई है, जिनमें से 2 खनिज ब्लॉकों की नीलामी पूर्व-निहित वैधानिक मंजूरियों के साथ की जाएगी।

*****